

**कार्यालय : निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, मोथरोवाला, देहरादून।**

**"विज्ञप्ति"**

**(विज्ञप्ति संख्या-४/३९ / स्थानेक / प०प्र०अ०-भर्ती/ २०१४-१५ दिनांक ०७-०५-२०१५)**

पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत पशुधन प्रसार अधिकारी (वेतनमान रु० ५२००-२०२० + ग्रेड पे रु० २८००) पद के द्विवर्षीय विभागीय प्रशिक्षण हेतु १२० अभ्यर्थियों (बैकलॉग सहित) के चयन हेतु निम्नांकित अर्हता/योग्यतानुसार उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :—

**१. रिक्तियों का विवरण :-**

श्रेणीवार पदों का विवरण	श्रेणीवार कुल पदों की सं०	क्षेत्रिज आरक्षण				
		महिला (३०%)	भूतपूर्व सैनिक (५%)	स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के अंश्रित (२%)	शारीरिक रूप से विकलांग (३%)	*उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी (१० %)
अनुसूचित जाति	३०	०९	०१	०१	०१	०३
अनुसूचित जनजाति	१५	०४	०१	००	००	०२
अन्य पिछड़ा वर्ग	११	०३	०१	००	००	०१
सामान्य वर्ग	५२	१६	०२	०१	०२	०५
योग :-	१०८	३२	०५	०२	०३	११
<b>विभागीय अभ्यर्थियों हेतु।</b>						
अनुसूचित जाति	०२	०	०	०	०	०
अनुसूचित जनजाति	०	०	०	०	०	०
अन्य पिछड़ा वर्ग	०१	०	०	०	०	०
सामान्य वर्ग	०९	०३	०	०	०	०
योग :-	१२	०३	०	०	०	०
कुल योग :-	१२०	३५	०६	०२	०३	०

**नोट:-**(I). चयन हेतु लिखित परीक्षा गोविन्द बल्लभ पंत, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर, जिला-ऊधमसिंहनगर द्वारा देहरादून एवं पंतनगर स्थित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। परीक्षा की तिथि, स्थान एवं समय पृथक से यथासमय सूचित किया जायेगा। चयनित अभ्यर्थियों को पशुलोक-ऋषिकेश, (देहरादून) में पशुधन प्रसार अधिकारी का द्विवर्षीय विभागीय प्रशिक्षण अपने स्वयं के व्यय पर पूर्ण करना होगा, प्रशिक्षण अवधि में विभाग द्वारा किसी प्रकार का मानदेय/छात्रवृत्ति/भत्ता आदि देय नहीं होगा। द्विवर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त अभ्यर्थियों को पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत पशुधन प्रसार अधिकारी के रिक्त पदों पर नियमानुसार नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

(II). \*उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों को अनुमन्य क्षेत्रिज आरक्षण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष रिट पिटीशन (पीआईएल) संख्या-६७/२०११ विचाराधीन है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी श्रेणी के अन्तर्गत नियुक्ति न दिए जाने के अंतरिम आदेश २६.०८.२०१३ दिए गये हैं, किन्तु चयन प्रक्रिया में उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भाग लेने पर रोक नहीं लगाई गई है। अतः राज्य आन्दोलनकारी श्रेणी के अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जा रही है कि उनका उक्त द्विवर्षीय प्रशिक्षण हेतु चयन उक्त याचिका के निर्णय के प्रतिबन्धाधीन रहेगा तथा माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक २६.०८.२०१३ के विद्यमान रहने की स्थिति में उपयुक्त राज्य आन्दोलनकारी श्रेणी में सफल रहने वाले अभ्यर्थियों का उक्त द्विवर्षीय प्रशिक्षण हेतु चयन नहीं किया जायेगा।

**२. शैक्षिक योग्यता:-** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान/कृषि/पशुपालन में से किसी एक विषय में स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो।

किन्तु "पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यरत ऐसे विभागीय कर्मचारी, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड में पांच वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो तथा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जीव विज्ञान या कृषि विषय के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो", विभागीय अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकते हैं। परन्तु पर्याप्त संख्या में पात्र या उपयुक्त विभागीय कर्मचारी उपलब्ध न हों तो उक्त पदों पर चयन अन्य अभ्यर्थियों में से किया जायेगा।

**३. अन्य अनिवार्य अर्हता:-** अभ्यर्थी को आवेदन की अन्तिम तिथि तक उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है (नवीनीकृत की दशा में भी पंजीकरण आवेदन की अन्तिम तिथि को वैध होना चाहिए)।

**४. अधिमानी अर्हता :-** अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने :-

- (क). नेशनल कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या
- (ख). एन०एस०एस० का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

5. आयुः— 01 जनवरी 2015 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष होनी चाहिए। उत्तराखण्ड राज्य के अनुजाति/अनुजनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के शासनादेशों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

6. आरक्षण—

ऊर्ध्व आरक्षण :— उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के शासनादेशों के अनुसार ऊर्ध्व आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

क्षैतिज आरक्षण :— उत्तराखण्ड की महिलाओं को 30%, भूतपूर्व सैनिकों को 05%, रवतंत्रता संग्राम सैनानियों के आश्रितों को 02%, विकलांग (शा०सं०-१९६ /दिनांक 25.03.2011 के अनुसार ३००४०, ३००५०, ३००६० तथा ३००७० श्रेणी के) अभ्यर्थियों हेतु 03% प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ उत्तराखण्ड सरकार के प्राविधानों एंव शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य होगा। आरक्षण हेतु संबंधित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति सलंगन की जानी आवश्यक होगी।

7. राष्ट्रीयता:-

(क). अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो या

(ख). तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में रथाई निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग). भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत से रथाई निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या केनिया, उगान्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) के किरी पूर्व आफीकी देश से प्रवर्जन किया हो,

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख), (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार के द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानीरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक समय के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त के साथ रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

8. शारीरिक स्वस्थता— किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में तभी नियुक्त किया जायेगा, जब वह मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। परीक्षा में चयनित होने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी/समकक्ष चिकित्सा अधिकारी से स्वरक्षता प्रमाण निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

9. आवेदन पत्र/परीक्षा शुल्क :

(I). आवेदन पत्र डाकघर की निम्न शाखाओं से निर्धारित शुल्क, अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु रु. 150.00 (रु० 50.00 डाकघर शुल्क सहित) एवं अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों हेतु रु. 250.00 (रु० 50.00 डाकघर शुल्क सहित) नगद देकर दिनांक 12.01.2015 से दिनांक 12.02.2015 तक प्राप्त किये जा सकते हैं :—

1. अल्मोड़ा 2. बागेश्वर 3. गोपेश्वर 4. रुद्रप्रयाग 5. देहरादून 6. हरिद्वार 7. नैनीताल 8. पंतनगर 9. पौड़ी 10. पिथौरागढ़ 11. चम्पावत 12. श्रीनगर(गढ़वाल) 13. नईटिहरी 14. उत्तरकाशी।

(II). आवेदन की अन्तिम तिथि :— आवेदन पत्र दिनांक 18.02.2015 को सांय 5.00 बजे तक संयोजक (परीक्षा एंव चयन), गोविन्द बल्लभ पंत, कृषि एंव प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय लैम्बर्ट स्कवायर अंतिम गृह पंतनगर, जनपद ऊधमसिंहनगर, पिन-263145 के कार्यालय में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट अथवा स्वयं द्वारा भेजे जायें। कोरियर द्वारा भेजे गये आवेदन पत्र तथा उक्त निर्धारित तिथि/समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र, किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जायें।

10. लिखित परीक्षा—

1. लिखित परीक्षा दो घण्टे की होगी तथा जो देहरादून तथा पंतनगर स्थित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी।
2. लिखित परीक्षा 100 अंकों की (हिन्दी एंव अंग्रेजी भाषा में) होगी जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा में जीव विज्ञान, कृषि एंव पशुपालन से संबंधित प्रश्न सम्मिलित होंगे, प्रत्येक प्रश्न के चार उत्तर दिए होंगे, अभ्यर्थियों को चार वैकल्पिक उत्तरों में से एक को चुनकर सही उत्तर प्रपत्र (Answer sheet) में भरना होगा। प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा। परीक्षा की तिथि, स्थान एंव समय पृथक से यथासमय सूचित किया जायेगा।
3. चयन हेतु अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में 33 प्रतिशतता (Percentile, अधिकतम अंक प्राप्त अभ्यर्थी के सापेक्ष) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
4. अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति होगी, उत्तरमाला विश्वविद्यालय की वेबसाईट में प्रदर्शित की जायेगी।
5. परीक्षा डुप्लीकेट उत्तर पत्रक पर होगी।

6. अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय द्वारा तैयार कर पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जायेंगे तथा विश्वविद्यालय की बैचसाइट पर भी अपलोड किये जायेंगे। अभ्यर्थी को डूप्लीकेट प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जायेंगे।
7. लिखित परीक्षा सम्बन्धी सामाग्री परीक्षा तिथि से मात्र एक वर्ष तक ही सुरक्षित रखी जायेगी।

11. अन्य आवश्यक निर्देश :-

- (1). अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।
- (2). अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध किसी नैतिक अपराध का दोष सिद्ध हो चुका हो, चयन हेतु पात्र नहीं होंगे।
- (3). आवेदन के साथ अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति सलंगन की जानी अनिवार्य है (पंजीकरण आवेदन की तिथि को वैध होना चाहिए)।
- (4). ऐसे पुरुष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो, आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।
- (5). विभागीय अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करने वाले विभागीय कर्मचारियों को आवेदन करने हेतु निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड (विभागाध्यक्ष) का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा आवेदन के साथ उक्त अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रमाणित छायाप्रति सलंगन की जानी अनिवार्य होगी।
- (6). आवेदन पत्र में कोई सलंगनक गलत/अपूर्ण पाये जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- (7). आवेदन पर नवीनतम प्रमाणित पासपोर्ट साइज की फोटो अवश्य लगायें, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
- (8). आवेदन के साथ शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों एवं अंकतालिकाओं, अधिमानी अर्हता, जन्मतिथि, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियां भी सलंगन करना अनिवार्य होगा।

निदेशक,  
पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड